



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275765
CG-DL-E-27082026-275765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4506]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4506]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4691(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद-शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-730सी के कि.मी. 3.500 काली नदी, कि.मी. 39.840 गंगा नदी, कि.मी. 53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी. 31.425, कि.मी. 31.710 व कि.मी. 44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा-3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप/आपत्ति कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् /विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0-सं0) जनपद-शाहजहाँपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा-3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं, और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद-शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-730सी के कि.मी. 3.500 काली नदी, कि.मी. 39.840 गंगा नदी, कि.मी. 53.250 रामगंगा नदी पर नए 2-लेन/4-लेन मेजर ब्रिज एवं कि.मी. 31.425, कि.मी. 31.710 व कि.मी. 44.665 पर 03 माइनर ब्रिज के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: शाहजहाँपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जलालाबाद					
गांव का नाम: हुल्लापुर					
1	407	सरकारी	गैरकृषि	0.0305 (हेक्टेयर)	0.0305
2	414	सामान्य	कृषि/गैरकृषि (निजी/सरकारी)	0.1165 (हेक्टेयर)	0.1165
3	425	सामान्य	कृषि/ गैर कृषि (सरकारी/निजी)	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
4	434	सामान्य	कृषि/गैरकृषि (निजी/सरकारी)	0.1845 (हेक्टेयर)	0.1845
5	435	निजी	कृषि	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
6	462	सामान्य	कृषि/गैरकृषि (निजी/सरकारी)	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
7	463	सामान्य	कृषि/गैरकृषि (निजी/सरकारी)	0.0673 (हेक्टेयर)	0.0673
8	464	सरकारी	गैरकृषि	0.0374 (हेक्टेयर)	0.0374
9	465	सरकारी	गैरकृषि	0.0449 (हेक्टेयर)	0.0449
10	466	सरकारी	गैरकृषि	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
11	467	सरकारी	गैरकृषि	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
12	468	निजी	कृषि	0.0773 (हेक्टेयर)	0.0773

13	469	सामान्य	कृषि/गैरकृषि (निजी/सरकारी)	0.0507 (हेक्टेयर)	0.0507
14	470	सामान्य	कृषि/गैरकृषि (निजी/सरकारी)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
15	474	सरकारी	गैर कृषि	0.0053 (हेक्टेयर)	0.0053
16	554	सामान्य	कृषि/गैरकृषि	0.2737 (हेक्टेयर)	0.2737
17	570	निजी	कृषि	0.0573 (हेक्टेयर)	0.0573
18	572	निजी	कृषि	0.1279 (हेक्टेयर)	0.1279
19	573	निजी	कृषि	0.0375 (हेक्टेयर)	0.0375
20	575	निजी	कृषि	0.0112 (हेक्टेयर)	0.0112
21	579	निजी	कृषि	0.0214 (हेक्टेयर)	0.0214
Total					1.3573

[फा.सं. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-25/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4691(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of new 2-lane/4-lane Major Bridges at Km. 3.500 on Kali River, Km. 39.840 on Ganga River, Km. 53.250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km 31.425, Km. 31.710, Km. 44.665 of NH-730C in district-Shahjahanpur in the state of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, (Sa.-Sa.), Shahjahanpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land for construction of new 2-lane/4-lane Major Bridges at Km. 3.500 on Kali River, Km. 39.840 on Ganga River, Km. 53.250 on Ramganga River & 03 Minor Bridges at Km 31.425, Km. 31.710, Km. 44.665 of NH-730C in district-Shahjahanpur in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: SHAHJAHANPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jalalabad					
Village: Hullapur					
1	407	Government	Non Agriculture	0.0305 (Hectare)	0.0305
2	414	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private/Government)	0.1165 (Hectare)	0.1165
3	425	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private /Government)	0.0069 (Hectare)	0.0069
4	434	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private/Government)	0.1845 (Hectare)	0.1845
5	435	Private	Agriculture	0.048 (Hectare)	0.048
6	462	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private/Government)	0.041 (Hectare)	0.041
7	463	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private/Government)	0.0673 (Hectare)	0.0673
8	464	Government	Non Agriculture	0.0374 (Hectare)	0.0374
9	465	Government	Non Agriculture	0.0449 (Hectare)	0.0449
10	466	Government	Non Agriculture	0.031 (Hectare)	0.031
11	467	Government	Non Agriculture	0.032 (Hectare)	0.032
12	468	Private	Agriculture	0.0773 (Hectare)	0.0773
13	469	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private/Government)	0.0507 (Hectare)	0.0507
14	470	Common	Agriculture/Non Agriculture (Private/Government)	0.055 (Hectare)	0.055
15	474	Government	Non Agriculture	0.0053 (Hectare)	0.0053
16	554	Common	Agriculture/Non Agriculture	0.2737 (Hectare)	0.2737

17	570	Private	Agriculture	0.0573 (Hectare)	0.0573
18	572	Private	Agriculture	0.1279 (Hectare)	0.1279
19	573	Private	Agriculture	0.0375 (Hectare)	0.0375
20	575	Private	Agriculture	0.0112 (Hectare)	0.0112
21	579	Private	Agriculture	0.0214 (Hectare)	0.0214
Total					1.3573

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-730C/2024-25/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director